

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज बनाम..... मु.नं.-	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p style="text-align: center;">रामवल्ल</p> <p style="text-align: center;">किस - 132/21</p>	
	<p>7/01/25 पत्रावली पेश हुई। पीपलीन आधिकारी आकस्मिक सांठेडिफन छगली 012/10 CPC का है जो जमपुर पधरै। जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली सूचीकृत दिनांक 11.2.25 को पेश हो।</p>	
	<p>11.2.25 पत्रावली पेश हुई। वकील शार्फ उपस्थित। शार्फ ने जवाब सा.पत्र 012/10 CPC दावा में पेश किया। सा.पत्र 012/10 CPC पर बहस सुनी। पत्रावली वास्ते अपील सा.पत्र 012/10 CPC दिनांक 18/3/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><b>उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)</b></p>	
	<p>18/3/25 पत्रावली पेश हुई। वकील शार्फ उपस्थित। शार्फ ने सा.पत्र 012/10 CPC इस दावा में स्वीकार होकर विद्वृत निर्णय लिखवाया जा चुका है। शार्फ ने सा.पत्र 012/10 CPC सा.पत्र 7-2 में भी स्वीकार होकर शार्फ को फसलार जमाये जाने के काले किये जाते हैं। शार्फ संशोधित शीर्षक पेश करे। पत्रावली वास्ते संशोधित शीर्षक दिनांक 15/4/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><b>उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)</b></p>	
	<p>15/4/25 पत्रावली पेश हुई। वकील शार्फ एवं अशार्फ सं. 01 उपस्थित। वकील शार्फ ने सा.पत्र अर्थार्थ निवेदाका को विज्ञो करने बाबत पेश किया। सा.पत्र में बताया कि उक्त छकरा में शार्फ जरा भागे न्यायालय हाजा में कार्यवाही नहीं चाहते हैं। उन्होंने वकीलदार संजुफडा द्वारा उक्त विवादित मंडिर</p>	

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज वी.एस.जी. मण्डावर मु.नं.- 137	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	---	--

माफी की जमीन का भीमान जिला कलम्टर मध्ये दौसा  
 के थरां रेफरेन्स किया जा चुका है जो भीमान  
 जिला कलम्टर मध्ये दौसा के थरां विपारधीन है  
 इसलिए मकसद को न्यायालय द्वारा में चलाने की  
 कोई ओपेच्य नहीं रह जाता है। उक्त मकसद में  
 रेफरेन्स का हवाला देते हुए। उक्त मकसद को  
 निरस्त करमाया जाने की हवा करे।

पत्राधिकाारी की मुता लय पत्राधिकाारी तथा  
 प्रो.पत्र का अक्लौकन किया। प्रो.पत्र अभी प्रारंभिक  
 स्टेज पर है। प्रो.पत्र के विद्दी की अनुमति देने में  
 कोई विधिक बाधन नहीं होने से प्रो.पत्र बाकत विद्दी  
 प्रो.पत्र अस्थाई निवेधाना स्वीकार किया जाता है।  
 पत्राधिकाारी में कार्यवाही बली स्वयं पर समाप्त की जाती  
 है। पत्राधिकाारी में दिनांक 08.03.22 को जारी अस्थाई  
 अस्थाई निवेधाना के फलम को समाप्त किया जाता  
 है। पत्राधिकाारी फौजल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी  
 मण्डावर (दौसा)